भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *214

13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना में अनियमितताएं

***214. श्री लाबू श्रीकृष्णा देवरायालू:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में अस्पतालों द्वारा की गई अनियमितताओं अथवा उल्लंघनों के मामले/शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और ऐसे उल्लंघनों का स्वरूप क्या है;
(ग) विगत पाँच वर्षों के दौरान उक्त राज्य में ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का जिला-वार ब्यौरा क्या है तथा विशेषकर कुल कितने अस्पताल पैनल से हटाए गए, निलंबित किए गए या दंडित किए गए हैं और कितनी राशि का जुर्माना लगाया गया है;
(घ) इस योजना के अंतर्गत धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए राष्ट्रीय धोखाधड़ी-रोधी इकाई (एनएएफयू) द्वारा अपनाई गई विशिष्ट पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं की समय पर पहचान और उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ों के आदान-प्रदान, जांच के तौर-तरीकों और वास्तविक समय में निगरानी के संदर्भ में एनएएफयू द्वारा राज्य धोखाघड़ी-रोधी इकाइयों (एसएएफयू) के साथ अपनाए गए समन्वय तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया है।

दिनांक 13.02.2026 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 214 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) धोखाधड़ी के प्रति जीरो टोलरेंस के दृष्टिकोण से संचालित होती है। राष्ट्रीय धोखाधड़ी-रोधी इकाई (एनएएफयू) कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) आधारित स्वत: जांच का उपयोग करके दावों के असामान्य पैटर्न, जैसे कि नकली प्रविष्टियों, बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई प्रक्रियाओं, अथवा रोगी की पहचान का दुरुपयोग आदि को चिह्नित करती है। एबी-पीएमजेएवाई के समग्र धोखाधड़ी-रोधी ढांचे को मजबूत करने के लिए नियमित क्षमता-निर्माण कार्यशालाएँ और क्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं।

एनएएफयू धोखाधड़ी के मामलों की जांच और उनके विरूद्ध कार्रवाई के लिए राज्य धोखाधड़ी-रोधी इकाइयों (एसएएफयू) के गहन समन्वय में काम करती है। स्वत: जांच द्वारा संदिग्ध पाए गए मामले अधिनिर्णय के लिए संबंधित राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारणों को भेजे जाते हैं। धोखाधड़ी करने वाले उपक्रमों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है जिसमें निलंबन, कारण बताओ नोटिस जारी करना, चेतावनी पत्र भेजना, अस्पतालों को पैनल से हटाना, जुर्माना लगाना और एफआईआर दर्ज करना आदि शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश में, पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न उल्लंघनों के लिए 3 अस्पतालों को पैनल से हटा दिया गया, 59 अस्पतालों को निलंबित कर दिया गया, और 360 अस्पतालों पर 39.23 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकार की गई कार्रवाई का जिला-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश राज्य में पिछले पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25) के दौरान अस्पतालों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का जिला-वार विवरण

ज़िला	**उन अस्पतालों की कुल संख्या जिन पर जुर्माना लगाया गया है**	**जुर्माने की कुल राशि (करोड़ रुपये में)**	**निलंबित अस्पतालों की संख्या**	**पैनल से हटाए गए अस्पतालों की संख्या**
अनकापल्ली	2	0.02	-	-
अनंतपुरमु	22	1.74	6	-
अन्नामाय	6	0.04	-	-
चित्तूर	6	0.21	-	-
डॉ. बीआर अंबेडकर कोनासीमा	8	0.01	-	-
पूर्वी गोदावरी	17	0.31	14	-
एलुरु	3	0.27	1	-
गुंटूर	30	11.90	4	-
काकीनाडा	14	0.37	-	-
कृष्णा	1	0.01	1	-
कुरनूल	27	6.58	2	-
नंदयाल	3	0.19	1	-
एनटीआर	22	0.40	-	-
पालनाडु	23	0.76	1	1
प्रकाशम	13	0.12	1	-
एसपीएसआर नेल्लोर	23	1.14	1	-
श्री सत्य साई	6	0.68	-	1
श्रीकाकुलम	8	0.16	-	-
तिरुपति	33	0.95	1	1
विशाखापत्तनम	52	11.39	4	-
विजयनगरम	2	0.07	-	-
पश्चिम गोदावरी	15	0.15	2	-
वाईएसआर कडप्पा	24	1.78	20	-

*****